निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 श्रावण 1932 (श0)

(सं0 पटना 519) पटना, सोमवार, 2 अगस्त 2010

सं0 15/डी 1-01/09 अंश-I उ0शि0—2374

मानव संसाधन विकास विभाग

संकल्प

29 जुलाई 2010

विषयः—राज्य के विश्वविद्यालयों एवं स्नातक महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए दिनांक 01 जनवरी 2006 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान सहित लागू करने के संबंध में।

भारत सरकार के पत्रांक एफ-1-32/2006-U-II/U,I(i), दिनांक 31 दिसम्बर 1998 के द्वारा विश्वविद्यालयों एवं स्नातक महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए दिनांक 01 जनवरी 2006 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने के संबंध में प्राप्त हुआ है जिसमें दिनांक 31 दिसम्बर 2008 के द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2006 से दिनांक 31 मार्च 2010 तक वेतन पर होने वाले अतिरिक्त व्यय भार का 80 प्रतिशत वहन करने का उल्लेख किया गया है। मानव संसाधन मंत्रालय के एक अन्य पत्रांक एफ 3-1/2009 यू0I, दिनांक 04 जून 2009 के द्वारा वेतन पुनरीक्षण के प्रसंग में फिटमेन्ट टेबुल की प्रतियाँ उपलब्ध करायी गयी है। विषयाधीन विषय से संबंधित वर्णित दोनों पत्रों वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसाओं के पूर्ण विचारोपरान्त बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 तथा पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा-35 (ii) के परन्तुक में अंकित प्रावधानों के अधीन राज्य के पारम्परिक विश्वविद्यालयों उनके अधीनस्थ स्नातक स्तरीय अंगीभूत महाविद्यालयों, घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों एंव राजकीय महाविद्यालयों के साथ-साथ कुलपति एवं प्रतिकुलपति के वेतनमान का पुनरीक्षण निम्नांकित शर्त्तो एवं बंधेजों के अधीन, दिनांक 01 जनवरी 2006 के प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया है :-

(1) विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतन लागू होने की स्थिति में 1 अप्रील 2010 से सम्पूर्ण व्ययभार का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

(2) भारत सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए प्रस्तावित पुनरीक्षित वेतनमान नियुक्ति एवं प्रोन्नति सहित अन्य सभी शर्त्तो एवं बन्धेजों के साथ सेवानिवृत्ति की

आयुसीमा को छोड़कर दिनांक 01 जनवरी 2006 के प्रभाव से लागू किया जाय तथा इन्हें प्रभावी करने हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियमों में आवश्यक संशोधन दिनांक 01 जनवरी 2006 के प्रभाव से किया जायगा।

(3) विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के व्याख्याताओं/रीडर को क्रमशः सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के नाम से जाना जायेगा परन्तु प्रोफेसर के पदनाम में कोई परिवर्त्तन नहीं होगा।

(4) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों एवं शैक्षणिक शर्त्तों यथा पी0एच0डी0 एवं अन्य शैक्षणिक शर्त्तों को धारित नहीं करनेवाले व्यक्ति प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति या पदनामित किये जाने हेतु योग्य नहीं होंगे, तथापि विभिन्न न्याय निर्णयों से प्रभावित होने वाले मामलों को छोड़कर पूर्व से पदनामित प्रोफेसरों के स्टेटस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(5) विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों का वेतन-निर्धारण उनके पदनाम के अनुरूप दो वेतन रु0 बैंडों 15600-39100 एवं रु0 37400-67000 के उचित एकेडमिक ग्रेड-पे (संक्षेप में ए0जी0पी0) के साथ निर्धारित किया जाएगा। प्रत्येक वेतन बैंड में विभिन्न स्तरों पर एकेडमिक ग्रेड-पे पर शिक्षकों एवं अन्य समकक्षी कैडर वालों का इस योजना के तहत अन्य सेवाशर्त्तों के प्रावधानों के अनुरूप उनको अपने पेशा/वृत्ति में आगे बढ़ने का गुणात्मक सुअवसर प्राप्त होगा।

(6) सहायक प्रोफेसर के पद पर नई नियुक्ति के लिए नेट (नेशनल इलिजीविलीटी टेस्ट) उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा परन्तु यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित मापदण्डों के तहत विश्वविद्यालयों द्वारा संधारित (एडोप्टेड) शर्त्तों के अधीन पी0एच0डी0 डिग्री प्राप्त व्यक्तियों को नेट पास किये जाने की अर्हता में छूट होगी। वैसे स्नातकोत्तर प्रोग्राम जिसमें नेट का प्रावधान नहीं है, नेट अर्हता अनिवार्य नहीं होगी।

(7) विभिन्न कोटि के शिक्षकों यथा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर/ एसोसिएट प्रोफेसर/ प्रोफेसर के पदों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान, सेवाशर्त्त एवं कैरियर एडवांसमेंट स्कीम निम्नप्रकार का होगा:-

(i) राज्य के विश्वविद्यालयों के अध्यापन पेशा में प्रवेश करनेवाले व्यक्तियों को सहायक प्रोफेसर के रूप में नामित किया जाय और रुपये 15600-39100 के वेतन बैंड के साथ रुपये 6000 के शैक्षणिक ग्रेड वेतन (एकेडमिक ग्रेड पे) में रखा जाय। सेवा में पहले से ही ऐसे व्याख्याता जो विधिवत रूप से पूर्व से इस सेवा में हैं तथा जिन्हें अपुनरीक्षित वेतनमान में रु0 8000-13500 का वेतनमान नियमित रूप से प्राप्त हो रहा है, को सहायक प्रोफेसर के रूप में 6000 रु0 के एकेडमिक ग्रेड पे के साथ नामित किया जायगा।

(ii) एक सहायक प्रोफेसर संबंधित विषय में पी0एच0डी0 डिग्री के साथ 4 वर्षों की सेवा पूरी करने पर रु0 7000 तक के शैक्षणिक ग्रेड पे प्राप्त करने के योग्य माना जायगा।

(iii) सहायक प्रोफेसर, जो एम0फिल0 या विधिमान्य व्यावसायिक (प्रोफेसनल) पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर स्तर की, यथा- एल0एल0एम0/एम0टेक0 इत्यादि की डिग्री धारित करते हों, उन्हें 5 वर्षों की सेवा पूरी करने के पश्चात रु0 7000 का एकेडमिक ग्रेड पे पाने के योग्य माना जायगा।

(iv) ऐसे सहायक प्रोफेसर, जिन्हें पी0एच0डी0 या एम0फिल0 की डिग्री प्राप्त नहीं है या प्रासंगिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री नहीं है, उन्हें सहायक प्रोफेसर के रूप में 6 वर्षों की सेवा पूरी होने के पश्चात ही रु0 7000 का एकेडमिक ग्रेड पे प्राप्त करने के योग्य माना जायगा।

(v) रु0 6000 से रु0 7000 का उच्च स्तरीय एकेडमिक ग्रेड पे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जानेवाले अन्य विनियमों/निदेशों की पूर्त्ति किये जाने की शर्त्त के साथ अनुमान्य किया जायगा।

(vi) व्याख्याता (सीनियर स्केल) के पदधारकों को, जिन्हें अपुनरीक्षित वेतनमान में रु0 10000-325-15200 का वेतनमान अनुमान्य है, सहायक प्रोफेसर के रूप में पदनामित

किया जायगा तथा उन्हें रु0 15600-39100 के पे बैंड के उपयुक्त स्तर पर निर्धारित करते हुए 7000/- रु0 एकेडमिक ग्रेड पे अनुमान्य किया जायगा।

(vii) वैसे सहायक प्रोफेसर, जो 5 वर्षों की सेवा रु0 7000 के एकेडमिक ग्रेड पे के साथ पूरी कर चुके हैं, उन्हें यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित की जाने वाली विनियमों/निदेशों के अधीन 8000 रु0 का एकेडमिक ग्रेड पे अनुमान्य किया जायगा।

(viii) एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए रुपये 37400-67000 का वेतन बैंड के साथ रु0 9000 एकेडमिक ग्रेड-पे अनुमान्य किया जायगा। सीधे नियुक्त एसोसिएट प्रोफेसर को रुपये 37400-67000 के वेतन बैंड में रखा जायगा तथा रु0 9000 के एकेडमिक ग्रेड पे के उपयुक्त स्तर पर नियुक्ति के समय निर्धारित की गयी शर्त्तों के अधीन अनुमान्य किया जायगा।

(ix) वर्त्तमान पदधाारी रीडर एवं व्याख्याता (सेलेक्शन ग्रेड) को जिन्होंने अपुनरीक्षित वेतनमान रु0 12000-18300 में दिनांक 1 जनवरी 2006 को तीन वर्ष पूरा कर लिया है, उन्हें रु0 37400-67000 का पे बैंड तथा रु0 9000 के एकेडमिक ग्रेड पे में रखा जायगा। साथ ही साथ उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों/विनियमों के अधीन नामित किया जायगा।

(x) इन प्रावधानों के लिए पदधाारी रीडर एवं व्याख्याता (सेलेक्शन ग्रेड) में वे सभी सम्मिलित हैं जो विश्वविद्यालय के द्वारा गठित किसी परिनियम के अधीन नियमित रूप से रीडर एवं व्याख्याता (सेलेक्शन ग्रेड) के पद पर प्रोन्नत हुए हैं परन्तु यदि किसी मामले में किसी न्याय निर्णय के तहत समीक्षोपरान्त नियुक्ति की प्रभावी तिथि में परिवर्त्तन किया जाय तो तदनुसार इस स्टेटस में परिवर्त्तन कर ही पुनरीक्षित वेतनमानों की अनुमान्यता की जायगी।

(xi) ऐसे पदधारी रीडर और व्याख्याता (सेलेक्शन ग्रेड), जिन्होंने अपुनरीक्षित वेतनमान रुपये 12000-420-18300 के वेतनमान में दिनांक 1 जनवरी 2006 को तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया है, उन्हें रु0 15600-39100 का पे बैंड के उपयुक्त स्तर पर रु0 8000 के एकेडमिक ग्रेड-पे के साथ तबतक रखा जायगा, जबतक वे अपनी तीन वर्ष की सेवा व्याख्याता (सेलेक्शन ग्रेड)/रीडर के रूप में पूरी नहीं करते हैं; उसके पश्चात उन्हें रु0 37400-67000 के वेतन बैंड में रखा जायगा एवं तदनुसार एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नामित किया जायगा।

(xii) वर्त्तमान में रीडर/व्याख्याता (सेलेक्शन ग्रेड) के सेवारत पदधारकों को, तबतक उनके पद के अनुरूप रीडर/व्याख्याता (सेलेक्शन ग्रेड) के रूप में नामित किए जा सकते हैं, जबतक उन्हें रु0 37400-67000 के पे बैंड में नहीं रखा जाता है तथा उन्हें उप-कंडिका-(*x*) में विहित प्रावधानों के अधीन एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

(xiii) सहायक प्रोफेसर रु0 8000 के एकेडमिक ग्रेड पे के साथ तीन वर्ष की शिक्षण की अवधि पूरी करने के पश्चात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित विनियमों/दिशा निदेशों के अधीन रु0 37400-67000 का उच्च स्तरीय पे बैंड के साथ रु0 9000 का एकेडमिक ग्रेड-पे में उत्क्रमित तथा एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नामित किया जायगा।

(xiv) प्रत्यक्ष/ सीधी भर्त्तीवाले संबंधित विषय में पी0एच0डी0 उपाधि के साथ एसोसिएट प्रोफेसर रु0 9000 के एकेडमिक ग्रेड-पे में 3 वर्ष की सेवा पूरी करने पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त एवं नामित हो सकते हैं बशर्त्ते वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित शैक्षिक प्रदर्शनों एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताओं की शर्त्तों को पूरा करते हों। किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी ऐसे शिक्षक को, जिन्हें पी0एच0डी0 डिग्री प्राप्त हो परन्तु अन्य शर्त्तों को पूरा नहीं करते हों, प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नत, नियुक्त या नामित नहीं किए

जा सकेंगे। प्रोफेसर के पद के लिए रु0 37400-67000 पे बैंड के साथ रु0 10000 का एकेडमिक ग्रेड-पे होगा।

(xv) सीधी भर्त्ती के आधार पर नियुक्त प्रोफेसर को रु0 37400-67000 के वेतन बैंड के कम-से-कम प्रक्रम रु0 43000 पर निर्धारित करते हुए रु0 10000 का एकेडमिक ग्रेड-पे अनुमान्य किया जायगा।

(xvi) किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के कुल पदों का 10 प्रतिशत पद रु0 12000 के एकेडमिक ग्रेड में होगा। प्रोफेसर के रूप में उच्च शैक्षणिक ग्रेड पे पर नियुक्ति हेतु अर्हता वही होगी जो यू०जी०सी० द्वारा निर्धारित किया जायेगा तथा उनकी पात्रता/अर्हताओं में अन्य शर्त्तों के साथ उच्च मानक अनुसंधान पत्रिकाओं, यथा- Peer reviewed/Referred Research Journals में प्रकाशन के साथ प्रोफेसर के रूप में 10 वर्षों का शिक्षण अनुभव एवं उच्च कोटि का पोस्ट डाक्टोरल शोध कार्य (Post Doctoral) का अनुभव अनिवार्य होगा। प्रोफेसर के रूप में सीधे नियुक्ति रु0 12000 के एकेडमिक ग्रेड पे के साथ नहीं होगा तथा साथ ही कम से कम रु0 48000 के प्रक्रम से कम स्तर पर वेतन निर्धारित नहीं किया जायगा।

(xvii) स्नातक स्तर के महाविद्यालयों में एसोसिएट प्रोफेसर की कुल संख्या के 10 प्रतिशत पद के बराबर प्रोफेसर का पद होगा, परन्तु उक्त पद प्रत्येक विभाग में एक-से-अधिक नहीं होगा तथा तद्नुसार प्रोफेसर के कुल पदों का एक चौथाई (25%) पद सीधी नियुक्ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा एवं शेष बचे तीन चौथाई (75%) पद महाविद्यालय के सम्बन्धित विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर में से योग्यता (Merit) के आधार पर विश्वविद्यालय में चयन/ नियुक्ति हेतु स्वीकृत प्रक्रिया के अनुरूप भरा जायेगा। स्नातक स्तर के महाविद्यालयों में सीधी नियुक्ति/ प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले प्रोफेसर के पदों की स्वीकृति महाविद्यालय में उक्त विषय में पढ़ रहे छात्र एवं छात्राओं तथा उनकी उत्तीर्णता के प्रतिशत को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य सरकार के स्तर पर गठित किये जानेवाले परिनियम के आधार पर किया जायेगा। प्रोफेसर के पदो की संख्या को एसोसिएट प्रोफेसर के पदों की संख्या के अनुरूप सीधी नियुक्ति/ प्रतिनियुक्ति या मेरिट प्रोमोशॅन के लिए निर्धारित करने के क्रम में पूर्ण संख्या नहीं होने पर, उसे अगली पूरी संख्या में परिवर्तित किया जा सकेगा।

(xviii) उपर्युक्त उप-कंडिका (xvi) एवं (xvii) के पद तभी सृजित होंगे, जब डिग्री एवं इंटरस्तरीय पदों का पूर्ण विभाजन सुनिश्चित कर लिया जायगा तथा विगत वर्षों में नामांकित तथा परीक्षा में भाग लेनेवाले छात्रों के आधार पर डिग्री विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के विभागों/महाविद्यालयों का युक्तिसंगत एकीकरण/विलयन/बंदी की कार्रवाई पूरी कर ली जायगी।

(xix) प्रोफेसर की चयन/ नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जायगी तथा 25% प्रोफेसर का पद योग्य शिक्षकों में से प्रतिनियुक्ति या सीधी नियुक्ति द्वारा एवं शेष 75% पद स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के संबंधित विभाग/ विषय (जिसमें शिक्षण की अनुमति राज्य सरकार द्वारा संसूचित है) के योग्य एसोसिएट प्रोफेसर में से मेरिट प्रोमोशॅन के तहत् भरा जायेगा। प्रतिनियुक्ति/सीधी नियुक्ति द्वारा भरे जानेवाले प्रोफेसर के पदों की संख्या का जाँच स्नातकोत्तर स्तर के महाविद्यालयों से सम्पर्क कर विश्वविद्यालय के द्वारा की जायेगी। मेरिट प्रोमोशॅन पर प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्त्ती हेतु प्रोफेसर के पदों की संख्या की जाँच के क्रम में अपूर्ण संख्या होने पर उसको उसके अगली संख्या में परिवर्त्तित किया जा सकेगा।

(xx) एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्त्ती के लिए उसकी पात्रता न्यूनतम शैक्षणिक और शोध-कार्य की आवश्यकताओं से संबंधित शर्त्तें वही होंगी, जो यू0जी0सी0

द्वारा निर्धारित विनियमों के माध्यम से एवं राज्य सरकार द्वारा परिनियमों के माध्यम से विहित की जायगी।

(8) प्रधानाचार्य—

(*i*) स्नातक स्तरीय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा शिक्षण/ शोध के अनुभव के दिए गए दिशा-निर्देश के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा निर्गत निर्देशों के अधीन गठित परिनियम के तहत किया जाएगा। उनका वेतनमान पे बैंड रु0 37400-67000 में रु0 10000 के एकेडमिक ग्रेड पे तथा रू0 2000 प्रति माह के विशेष भत्ता के साथ अनुमान्य किया जायेगा।

(*ii*) स्नातकोत्तर स्तरीय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षणिक योग्यता तथा शिक्षण/ शोध के अनुभव के दिए गए दिशा-निर्देश के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा निर्गत निर्देशों के अधीन गठित परिनियम के तहत की जायेगी। उनका वेतनमान पे बैंड रू0 37400-67000 में रू0 10000 के एकेडमिक ग्रेड-पे तथा रू0 3000 प्रति माह के विशेष भत्ता के साथ अनुमान्य किया जायेगा।

(9) विश्वविद्यालयों के कुलपति/प्रतिकुलपति के वेतनमान—

(*i*) कुलपति का वेतनमान रु0 75000 का नियत वेतन रु0 5000 प्रतिमाह के विशेष भत्ता के साथ अनुमान्य किया जायगा।

(*ii*) प्रतिकुलपति का वेतनमान पे बैंड रु0 37400-67000 में यथास्थिति रु0 10000/12000 के एकेडमिक ग्रेड-पे तथा रु0 4000 प्रति माह के विशेष भत्ता के साथ इस शर्त्त के साथ अनुमान्य किया जायगा कि पे बैंड में वेतन, एकेडमिक ग्रेड पे तथा विशेष भत्ता मिलाकर रु0 80000 से अधिक नहीं हो।

(10) वेतन निर्धारण—

शिक्षकों के पदों पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) भारत सरकार के पत्रांक F.3-1/2009-UI दिनाक 04 जून 2009 के द्वारा विहित वेतन निर्धारण टेबुल (तालिका) वर्त्तमान में लिये गये निर्णयों तथा वित्त विभाग के परामर्श को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किया जा रहा है। इस क्रम में वेतन निर्धारण सूत्र तथा उसकी प्रक्रिया, वेतन निर्धारण तालिका (टेबुल), उदाहरण, विकल्प प्रपत्र, शपथ पत्र, वेतन निर्धारण प्रपत्र को अपेण्डिक्स -1 से 6 के रूप में संलग्न किया जा रहा है।

(11) वेतनवृद्धि—

(*i*) प्रत्येक वार्षिक वेतनवृद्धि की दर कुल वेतन से संबद्ध पे बैंड एवं ए0जी0पी0 के योग का 3 प्रतिशत राशि के समतुल्य अनुमान्य किया जायगा।

(*ii*) प्रत्येक अग्रिम वेतन वृद्धि की दर भी कुल वेतन से संबद्ध पे बैंड एवं ए0जी0पी0 के योग का 3 प्रतिशत के समतुल्य अनुमान्य किया जायगा।

(*iii*) इस योजना के तहत् निम्न वेतनमान से उच्च वेतनमान में प्रोन्नत्ति हेतु कोई अतिरिक्त वेतनवृद्धि का प्रावधान नहीं किया जायगा।

(*iv*) जहां शिक्षक वर्तमान वेतनमान में अपना वेतन लेना जारी रखते हैं और उन्हें 01 जनवरी 2006 के बाद की तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना में लाया जाता है, तो पुनरीक्षित वेतन संरचना में बाद की तिथि से उसका वेतन निम्न प्रकार से निर्धारित होगा:-

(क) वेतन बैण्ड में वेतन का निर्धारण बाद की तिथि में लागू मूल वेतन, महंगाई वेतन और अपुनरीक्षित दरों पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 की दर से अनुमान्य महंगाई भत्ता को जोड़ते हुए किया जायेगा। यह संख्या अगले 10 में पूर्णांकित की जायेगी और इस प्रकार निकाली गयी संख्या ही लागू वेतन बैण्ड में वेतन होगा। इसके अतिरिक्त अपुनरीक्षित वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन भी देय होगा।

(ख) पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन में पदोन्नति की स्थिति में वेतन का निर्धारण निम्नरूप से किया जायेगा। वेतन बैण्ड में वेतन तथा वर्तमान ग्रेड वेतन

के योग की 03 प्रतिशत धनराशि को अगले 10 में पूर्णांकित करते हुए एक वेतनवृद्धि के रूप में आगणित किया जायेगा। तद्नुसार आगणित वेतनवृद्धि की धनराशि वेतन बैण्ड में प्राप्त वर्तमान वेतन में जोड़ी जायेगी। इस प्रकार प्राप्त धनराशि पदोन्नति के पद के वेतन बैण्ड में वेतन होगा, जिसके साथ पदोन्नति पद का ग्रेड वेतन देय होगा। जहां पदोन्नति में वेतन बैण्ड में परिवर्तन हुआ हो वहां भी इसी पद्धति का पालन किया जायेगा तथापि वेतन वृद्धि जोड़ने के बाद भी जहां वेतन बैण्ड में आगणित वेतन पदोन्नति वाले पद के उच्च वेतन बैण्ड के न्यूनतम से कम हो, तो तद्नुसार आगणित वेतन को उक्त वेतन बैण्ड में न्यूनतम के बराबर तक बढ़ा दिया जायेगा।

(*v*) प्रचलित वेतन बैंड में अगली वार्षिक वेतन वृद्धि एक समान अर्थात् प्रत्येक वर्ष के जुलाई माह की पहली तारीख हो जायेगी। विश्वविद्यालय के शिक्षकगण 1 जुलाई को चालू वेतन बैंड में 6 महीना अथवा ऊपर की सेवा पूरी कर चुके हैं, एक वेतन वृद्धि प्राप्त करने के योग्य हो जायेंगे। दिनांक 01 जनवरी 2006 को प्रचलित वेतन बैंड में वेतन निर्धारण के पश्चात् एक वेतन वृद्धि दिनांक 01 जुलाई 2006 को स्वीकृत की जायगी। उन विश्वविद्यालय शिक्षकों को भी जिनकी अगले वेतन वृद्धि की तिथि 1 जुलाई, 2006 से 1 जनवरी, 2007 के बीच में है। वैसे सभी विश्वविद्यालय के शिक्षकों को, जिन्होंने दिनांक 01 फरवरी 2005 और 01 जनवरी 2006 के बीच पिछली वेतनवृद्धि का लाभ प्राप्त कर लिया है, के लिए भी अगली वेतनवृद्धि की तिथि 01 जुलाई 2006 होगी परन्तु उन विश्वविद्यालय शिक्षकों के मामले में जिन्होंने 1 जनवरी, 2006 को अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतनवृद्धि 1 वर्ष से अधिक समय से प्राप्त कर रहे थे, उन्हें चालू वेतन संरचना में 1 जनवरी को ही वेतनवृद्धि स्वीकृत की जायेगी।

(vi) शिक्षकों को अपने वेतन बैंड के अधिकतम प्रक्रम/स्तर पर पहुँचने पर वेतन निर्धारण:-

अगर कोई विश्वविद्यालय/महाविद्यालय शिक्षक अपने वेतन बैंड के अधिकतम स्तर पर पहुँच जाता है, तो अधिकतम स्तर पर पहुँचने के एक वर्ष के पश्चात अगले उच्चतर वेतन बैंड का लाभ दिया जायेगा तथा इसके स्थापन के समय एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जायगा। उसके पश्चात् वह उक्त वेतन बैंड में तबतक रहेगा, जबतक उनका वेतन चालू वेतन संरचना के रु0 37400-67000 के वेतन बैंड के अधिकतम तक नहीं पहुँच जाता है।

(12) अन्य सेवा-शर्त्तें तथा भत्ते—

(*i*) मंहगाई भत्तों की अनुमान्यता राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दर से दिया जायगा।

(*ii*) मकान किराया भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता, यात्रा-भत्ता और चिकित्सा भत्ता राज्यकर्मियों के समान संकल्प निर्गत होने की तिथि से अनुमान्य किया जायगा।

(*iii*) शिक्षकों के सम्वर्ग से संबंधित वैसे अंधे/ विकलांग या अन्यान्य शारीरिक रूप से अपंग कर्मियों को सामान्य रूप से स्वीकृत दर से दूना परिवहन भत्ता देय होगी।

(13) शैक्षणिक अवकाश—

विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को, जिन्होंने एम0फिल/ पी0एच0डी0 उपाधि हासिल नहीं किया है, उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किए जा रहे संशोधित नियमों के अनुरूप एम0फिल/ पी0एच0डी0 की उपाधि प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक अवकाश स्वीकृत किया जायगा।

2. योजना के लागू करने के वांक्षनीय तत्व —

(i) प्रस्तावित पुनरीक्षित वेतनमान राज्य के विश्वविद्यालयों, अंगीभूत महाविद्यालयों, राजकीय तथा घाटानुदानित महाविद्यालयों में डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तर के स्वीकृत पदों पर विहित प्रक्रियाओं के अधीन एवं विधिवत् रूप से नियुक्त शिक्षकों को ही अनुमान्य किया जायगा। इंटर स्तर पर अनुमान्य/अनुमान्य होनेवाले पदों पर कार्यरत शिक्षकों को यह वेतनमान नहीं दिया जायगा, परन्तु इन्टर की पढ़ाई के लिए अनुमान्य/अनुमान्य होने वाले पदों के विरुद्ध कार्यरत शिक्षक, जिनकी नियुक्ति डिग्री स्तरीय पढ़ाई के लिए स्वीकृत पदों पर नियुक्त शिक्षकों के साथ हुई है, उन्हें भी

डिग्री स्तरीय स्वीकृत पदों का वेतनमान तबतक दिया जायगा जबतक डिग्री स्तरीय पदों के रिक्त होने पर उनके विरुद्ध उनका सामंजन न हो जाय। भविष्य में इन्टर स्तरीय शिक्षा का प्रशासन डिग्री स्तरीय शिक्षा के प्रशासन से पूर्णतया अलग रखा जायगा।

(ii) माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 5859/96 में तिथि 21 फरवरी 2000 तथा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 9839/2001 में तिथि 16 अक्तूबर 2001 को पारित न्याय-निर्णयों को, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सम्पुष्ट किया जा चुका है, के अनुपालन के क्रम में वैसे अस्थायी रूप से नियुक्त व्याख्याताओं को, जिनकी अस्थायी सेवा को विभिन्न परिनियमों के आधार पर नियमित किया गया है, वेतन के पुनरीक्षण किये जाने के पूर्व उनकी प्रभावी नियुक्ति की तिथि का निर्धारण उनके सेवा सामंजन की तिथि से किया जायगा। तत्पश्चात ही संबंधित शिक्षकों को उक्त तिथि के आधार पर अनुमान्य विधिमान्य सेवाअवधि के आधार पर, रीडर अथवा प्रोफेसर के पदों पर उनकी प्रोन्नति वैध पाये जाने के पश्चात् ही उनके द्वारा धारित पद पर वेतन पुनरीक्षण अनुमान्य किया जायगा। परन्तु जिन शिक्षकों की सेवा नियुक्ति की तिथि से नियमित तथा वैध पायी गयी है, उनकी प्रथम नियुक्ति की तिथि को ही प्रभावी नियुक्ति की तिथि मानी जाएगी। इस क्रम में विभाग द्वारा एक परिपत्र राज्य के विश्वविद्यालयों के बीच परिचालित किया जायगा जिसमें विभिन्न परिनियमों के आधार पर सामंजित शिक्षकों की प्रभावी नियुक्ति तिथि का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। इससे राज्य के विश्वविद्यालयों में इस विन्दू पर एकरूपता एवं समानता का अनुपालन सुनिश्चित हो सकेगा।

(iii) वस्तुस्थिति को स्पष्ट किये जाने तथा वेतन के पुनरीक्षण किये जाने हेतु इस प्रकार के मामलों में नियुक्ति की प्रभावी तिथि के निर्धारण हेतु विभागीय पत्रांक 2244, दिनांक 16 जुलाई 2010 में अंकित तथ्यों को घ्यान में रखा जायगा।

(iv) नवअंगीभूत महाविद्यालयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में शिक्षकों की सेवा के संबंध में विचाराधीन सिविल अपील संख्या 6098/97 में दिनांक 12 अक्तूबर 2004 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में वैसे शिक्षक के वेतन पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा, जिनका नाम माननीय न्यायमूर्ति एस0सी0 अग्रवाल कमीशन के प्रतिवेदन में आर0-II तथा एन0आर0 के रूप में प्रतिवेदित है या जिनके सामंजन किये जाने की अनुशंसा उक्त प्रतिवेदन में नहीं की गयी है। अतः न्याय निर्णय के अनुपालन, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु निर्धारित तथा यू0जी0सी0 द्वारा मापदंडों के अनुरूप शिक्षकों की सेवा नहीं रहने की स्थिति में उन्हें अविलंब सेवामुक्त करने की कार्रवाई की जायगी।

(v) राज्य के विश्वविद्यालयों के अधीनस्थ अंगीभूत, राजकीय तथा घाटानुदानित महाविद्यालयों के उपर्युक्त शिक्षकों के रिक्त पदों पर तबतक कोई नई नियुक्ति नहीं की जायगी, जबतक अन्तर स्नातक (इन्टरमीडिएट) शिक्षा को डिग्री शिक्षा से अलग किये जाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है।

(vi) विभिन्न विश्वविद्यालयों में 2003 में लगभग छः सौ शिक्षकों की नियुक्ति डिग्री स्तरीय पदों पर बिना इन्टर-स्तरीय पद एवं डिग्री-स्तरीय पदों को अलग किए ही कर ली गयी है। इससे राज्य सरकार पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ा है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2001 में पत्रांक 1300, दिनांक 21 जुलाई 2001 द्वारा गत वेतन पुनरीक्षण के समय मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की शर्त्त रखी जा सकती है, तभी उन्हें वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिया जायगा। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के निमित्त अनियमितता बरतने वाले विश्वविद्यालय अधिकारियों की पहचान कर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जायगा।

(vii) महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को शुरू करने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक बुनियादी ढाँचा की उपलब्धता के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिशा-निर्देश के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा दिशा निर्देश अलग से निर्धारित किया जायगा।

(viii) राज्य के अंगीभूत महाविद्यालयों में 1600 विभागों में 10 से कम छात्रों का होना एक गंभीर चिन्ता का विषय है। कुछ महाविद्यालयों के कतिपय विषयों में शिक्षकों की स्वीकृत पदों की संख्या की तुलना में छात्रों की संख्या नगण्य है, अतः शिक्षकों के कार्यबल का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। अघ्यन कर रहे छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षकों के कार्यबल/ क्षमता का उपयोग लक्जरी के रूप में किया जाना राज्यहित में नहीं है, अतः शिक्षणहित में शिक्षकों के कार्यबल तथा कार्यक्षमता का अधिकतम उपयोग किये जाने की अनिवार्यता को दृष्टिपथ में रखते हुए जिन महाविद्यालयों में निर्धारित मापदंड से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं, तथा जिनमें शिक्षकों की तुलना में छात्रों की संख्या नगण्य है, वैसे महाविद्यालयों के युक्तिसंगत एकीकरण (Unification)/विलयन (Amalgamation) अथवा बन्द करने की कार्रवाई सुनिश्चित किये जाने के पूर्व इन महाविद्यालयों में कोई भी नियुक्ति नहीं की जायगी। वर्त्तमान पुनरीक्षण में जिन महाविद्यालयों के विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर की संख्या का 10 प्रतिशत पद प्रोफेसर का पद (प्रत्येक विभाग में अधिकतम एक) सृजित किये जाने का प्रस्ताव गठित किये जाने के पूर्व उक्त महाविद्यालय के संबंधित विभाग में विगत वर्षों में नामांकित तथा परीक्षा में भाग लेनेवाले छात्रों की संख्या के आधार पर विभागों/महाविद्यालयों की प्रमाणिक सूचना प्राप्त कर लिया जाय। उक्त सूचनाओं की समीक्षा के पश्चात् जिन स्नातक या स्नातकोत्तर विभागों/महाविद्यालयों के विभागों में सामान्यतया 10 से कम या नगण्य छात्र रहे हैं, उक्त विषयों की पढ़ाई अन्य निकटवर्त्ती महाविद्याालयों के विभागों के साथ एकीकृत कर दिया जाय, ताकि सभी विभाग/महाविद्याालय की आर्थिक संभाव्यता बनी रहे। इस युक्तिसंगत एकीकरण/विलयन के पश्चात महाविद्यालयों में यदि भौतिक संसाधन अव्यवहृत रह जाता है, तो नए विषय, व्यावसायिक या प्रोफेशनल कोर्स/संस्थान खोलने पर विचार किया जायेगा। इस युक्तिसंगत एकीकरण/विलयन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी किये जाने के पश्चात हीं विश्वविद्यालयों के विभागों/महाविद्याालयों में वरीय वेतनमान के प्रोफेसर/ वरीय प्रोफेसर के पद स्वीकृत किए जायेंगे।

(ix) इस युक्तिसंगत एकीकरण/विलयन की प्रक्रिया शीघ्र पूरा कर लिए जाने की अनिवार्यता के मद्देनजर जबतक रेशनलाइजेशन की कारवाई पूरी नहीं होती है तबतक विश्वविद्यालयों के विभागों/महाविद्याालयों में प्रोफेसर/वरीय वेतनमान के प्रोफेसर के पद स्वीकृत नहीं किए जाएंगे।

(x) तत्काल शिक्षकों का वेतनमान का पुनर्निर्धारण की कारवाई विश्वविद्यालय स्तर पर सुनिश्चित करने हेतु वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अंकेक्षकों की सेवा का उपयोग किया जायगा।

3. वेतनमानों में संशोधन की योजना हेतु भारत सरकार की पत्र संख्या 1-32/2006/U-II/U.I(i), दिनांक 31 दिसंबर 2008 में अंकित शर्त्तों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में दिये जानेवाले आदेशों/ निदेशों का कड़ाई से पालन किया जायगा। विश्वविद्यालय अधिनियमों तथा इसके अधीन गठित परिनियमों में इस स्कीम से आच्छादित पदों पर चयन की प्रक्रिया न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य शर्त्तें पूर्व से विहित हैं, अतः उन सभी संगत प्रावधानों को इस स्कीम में विहित किये गये शर्त्तों के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित किये जानेवाले रेगुलेशनों तथा दिशा निर्देशों के अनुरूप संशोधित किया जायगा।

4. दिनांक 01 जनवरी 2006 से 31 मार्च 2010 तक की अवधि में देय अन्तर वेतन की राशि जिसमें केन्द्र सरकार का 80 प्रतिशत और राज्य सरकार का 20 प्रतिशत हिस्सा है अतः केन्द्र सरकार द्वारा राशि की स्वीकृति तथा उसकी प्राप्ति के अनुपात में राज्य सरकार द्वारा भी स्वीकृत एवं विमुक्त की जायेगी।

5. इस संबंध में संबंधित श्रोतों से सूचना प्राप्त होने के पश्चात वास्तविक व्यय भार की गणना कर प्रस्ताव अलग से मंत्रिपरिषद के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा।

6. दिनांक 01 अप्रील 2010 से 31 जुलाई 2010 तक के बकाये, वेतनादि तथा महंगाई भत्ता का भुगतान संबंधित श्रोतों से सूचना प्राप्ति के उपरान्त, वास्तविक व्यय भार की गणना कर आगामी वित्तीय वर्ष 2011-2012 से 5 (पाँच) वार्षिक किस्तों में किया जा सकेगा।

7. संबंधित महाविद्यालय/विभाग विहित शर्त्तो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अपनी मांग विश्वविद्यालय को भेजेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा उसे निर्धारित प्रपत्र में स्नातकोत्तर विभागों एवं महाविद्यालयों के लिए अलग-अलग विवरणी दर्शाते हुए समेकित मांग राज्य सरकार के पास भेजी जायेगी।

8. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के0 के0 पाठक,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 519-571+1000-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in